App-A
Crim-I

FORM NO - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर (CSDO) मुकाम सिरोही

गौरीदेवी

बनाम सरपंच ग्रा०पं० रामपुरा वगैरा

किस्म मुकदमा विविध प्रकरण अन्तर्गत भू-राजस्व अधिनियम

विविध प्रकरण सं. 5/2017

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
	दि० 27-4-18 प्रकारान अधिवक्ता उप-चुनाव संबंधी मीटिंग में जोधपुर आज साहब पधारेंगे अतः पत्रावली स्थगित होकर दिनांक 30-4-18 को पेश हो। 30-4-18	
दिनांक 30-4-18	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी व अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 उपस्थित। अप्रार्थी सं. 2 ने जवाब पेश किया, जिसे सरसरी तौर पर अधिवक्ता प्रार्थी को दिखाई गई। पत्रावली प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 व 3 के जवाब हेतु दि० 25-6-2018 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी सिरोही	
दिनांक 25-6-2018	आज यह पत्रावली राज्य सरकार के आदेशानुसार विचाराधीन राजस्व प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कर अक्षयपात्र को सकल्पित करने की दृष्टि से व्यापक अभियान 2018 के सम्बन्ध में दोपहर अतः सेवा केन्द्र रामपुरा में पेश हुई। विचारण प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रार्थी गण तथा अप्रार्थी गण के नोटिस तामिल, सम्मन तामिल पश्चात गवाही हुये। प्रार्थी गण गौरी देवी, पेमु देवी, धापु देवी, सीता देवी, जमना देवी तथा प्रार्थी गण के अधिवक्ता श्री शोभान भाटी उपस्थित। तहसीलदार सिरोही (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही (राज०)	

Continue Page

अपार्थी सं. 01 की ओर से सरपंच ग्रा०पं० रामपुरा तथा अपार्थी सं. 3 स्टेट तहसीलदार सिरोही उप०। अपार्थी सं. 2 को प्रेम्य पोर्ट की सूचना देते के बावजूद पैरवी सुनवाई छोड़ दी गई है।

प्रकरण की सुनवाई के दौरान अपार्थी सं. 01 की ओर से सरपंच ग्रा०पं० रामपुरा ने जवाब पेश किया जिसे मूल नथी नस्ती के संलग्न किया।

विपक्षी प्रकरण अन्तर्गत 5 एकड़ भूमि पर काबिज पार्थीगण तथा अपार्थी सं. 01 सरपंच ग्रा०पं० रामपुरा तथा अपार्थी सं. 3 स्टेट तहसीलदार सिरोही अन्तिम बहस करने से अन्तिम बहस सुनकर उस पर गंभीरता से मनन किया। विपक्षी प्रकरण की नस्ती के संलग्न पत्रावली अन्तर्गत 5 एकड़ भूमि विवादित नामान्तकरण सं. 467 नामांकन संवत 2049-2052 खाता नं. 17 खसरा नं. 226, 232 से 242 तक कुल 12 कुल रकबा 25.07 हेक्टेयर जवाब अपार्थी सं. 2 का भी गहनता पूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया। सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त यह स्पष्ट है कि पार्थीगण महिलाएं है जो अनपढ़ है जिन्होंने अज्ञानता वश की है इस कारण पार्थीगण को विवादित नामान्तकरण सं. 467 दि० 2.6.2002 के सरपंच ग्रा०पं० रामपुरा के स्वीकृत करने की जानकारी नहीं हुई। पार्थीगण को बुधवार दि० 1.8.2017 को जानकारी तहसीलदार सिरोही के कार्यालय से पता चली तो नामान्तकरण की नकल प्राप्त करने के लिये आवेदन किया जिस पर पार्थीगण को शनिवार दि० 14.8.2017 को प्राप्त होने पर पार्थीगण महिलाओं ने पिता के बीमार पड़ने की इस न्यायालय में पेश की है इस प्रकार पार्थीगण महिला व अनपढ़ होने से उन्हें कानूनी जानकारी नहीं होने के कारण उक्त अपील प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही व कठिनाई परिलक्षित होना जाहिर नहीं होता है। अपील अपार्थी सं. 2 ने अपने जवाब में पार्थीगण को शुरू से ही रेस्पोंडेन्ट सं. 2 के नाम की नामान्तकरण दर्ज होने की जानकारी होने के कथन की समर्थन पुष्टी में कोई दस्तावेजी साक्ष्य अपार्थी सं. 2 की ओर से पेश होना पत्रावली पर उपलब्ध

Continue Page

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज०)

App-A
Crim-I

FORM NO - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर (CSDO) सिरोही राज० मुकाम

गौरीदेवी

बनाम सरवन आदि-रामपुरा बगैरा

किस्म मुकदमा विविध प्रार्थना अन्तर्गत धारा 5 म्यादअधि० विविध प्रकरण सं. 5/2017

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
	सही है तथा नथी मोहाराम की मृत्यु पर प्रार्थीगण ने अपनी सहमति प्रदान कर नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट सं. 2 के हक में करवाया जाने का अपना कथन किया है एवं कथन की समर्थन / पुष्टि में प्रार्थीगण का सहमतिपत्र की प्रति पेश होना बयानों पर उपलब्ध रेकर्ड से जाहिर होता है। अतः उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थीगण का यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 म्यादअधिनियम का विचार प्रार्थीगण सं. 1 से 3 तक स्वीकार योग्य होते हुये स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील की देरी का अवधि दिनांक 2-6-2000 से 6-9-2017 तक की अवधि को क्षमा (कन्डोन) किया जाता है तथा मूल नामान्तकरण अपील को अन्दर म्याद लिया जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय 210 क्रो० आदेश्य कोर्ट अतः सेवा केन्द्र रामपुरा में मय में आम में सुनाया। बयानों फैसला शुमार होकर नंबर से कम हो।	

तारीख

लैण्ड रिकॉर्ड अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज०)